(9)

# झारखण्ड गजट

**असाधारण अंक**

**झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित**

10 वैशाख, 1923 शकाब्द

संख्या 76

रांची, सोमवार, 30 अप्रील, 2001

विधि (विधान) विभाग।

**अधिसूचना**

**28 अप्रील, 2001**

संख्या एल०जी-05/2001 लेज: 05—झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 20 अप्रील, 2001 को अनुमति दे चुके हैं; इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है

रामायण पाण्डे,
सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड,
रांची।

---

[झारखण्ड अधिनियम 03, 2001]

## झारखण्ड विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ :—

(i) यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ :—इस अधिनियम में जब तक कि विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो :—

(क) "मण्डल/सभा से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान-मण्डल/सभा।

(ख) "मुख्य सचेतक", "उप मुख्य सचेतक" और "सचेतक" से अभिप्रेत है सत्तारूढ़ दल, जो सरकार गठित करे, द्वारा मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतक के रूप में नियुक्त कोई सदस्य और मान्यता प्राप्त मुख्य विपक्षी दल द्वारा मान्यता प्राप्त मुख्य सचेतक और सचेतक।

(ग) "संसदीय सचिव" से अभिप्रेत है राज्यपाल द्वारा संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त कोई सदस्य।

(घ) विधानसभा की समिति से अभिप्रेत है विधानसभा द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा उनके सदस्यों से बनी समिति।

(ङ) "विधानसभा का अधिवेशन" से अभिप्रेत है, विधानसभा का अधिवेशन जो राज्यपाल द्वारा बुलाया जाय।

(च) "सदस्य" से अभिप्रेत है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उप मंत्री या वेतन भोगी संसदीय सचिव, विपक्ष के नेता से अन्यथा विधानसभा का कोई सदस्य।

(छ) "सत्र" से अभिप्रेत है राज्यपाल द्वारा आहूत विधानसभा की प्रथम बैठक से आरम्भ होने वाली और विधानसभा के बैठक को समाप्ति के दिन से अनिश्चितकाल के लिए समाप्त होने वाली सम्पूर्ण अवधि।

(ज) "सामान्य निवास स्थान" से अभिप्रेत :—

(क) झारखण्ड विधान-मण्डल के निर्वाचित सदस्य के लिए वह स्थान, जो उसके द्वारा नाम निर्देशन तक पत्र में उल्लखित स्थायी पता अंकित हो।

(ख) झारखण्ड विधान-मण्डल के मनोनीत सदस्य के लिए वह स्थान जहां की मतदाता सूची में उसका नाम हो।

3. सदस्यों का वेतन—प्रत्येक सदस्य 3,000/-(तीन हजार) रुपये प्रति माह की दर से वेतन, जो उसे उस दिन से प्राप्त होगा, जिस दिन वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाए, अथवा विधानसभा/ मण्डल में स्थान भरने के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य की दशा में उस तिथि से प्राप्त होगा, जिस तिथि को उसे मनोनीता किया जाए, अथवा यदि ऐसी घोषणा या जो मनोनयन रिक्ति होने की तिथि से पूर्व किया गया हो, तो रिक्ति होने की तिथि से पाने का हकदार होगा।

परन्तु वेतन की अदायगी तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि कोई सदस्य शपथ-ग्रहण न कर ले या भारतीय संविधान के अनुच्छेद-188 में निर्दिष्ट प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर न कर दें :—

किन्तु यह कि आम चुनाव के बाद गठित नई विधान-मण्डल के किसी सदस्य की दशा में वेतन का भुगतान केवल उस तारीख से किया जायेगा, जिस तारीख को सभा की प्रथम बैठक नियत की गई है।

परन्तु यह भी कि प्रत्येक सदस्य को भुगतेय वेतन अनुपस्थिति करने के लिए ऐसी कटौतियों का दायी होगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम में उपबंधित किया जाय।

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार के अधीन या किसी व्यक्ति से अपने वेतन का हकदार हो और ऐसी सरकार निगम, स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या किसी व्यक्ति से वेतन के रूप में कोई राशि प्राप्त करता हो, तो।

(क) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसी विधि या अन्यथा के अधीन हकदार है, उस राशि के समान या उससे अधिक हो, जिसका वह इस धारा के अधीन हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।

(ख) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसी विधि या अन्यथा के अधीन हकदार है, उस राशि से न्यून हो जिसका वह इस धारा के अधीन हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन वेतन की उस राशि

का हकदार होगा, जो वेतन की उस राशि से कम है जिसका वह इस धारा के अधीन अन्यथा हकदार है।

4. सवारी भत्ता—प्रत्येक सदस्य को तीन सौ रुपये प्रतिमाह की दर से सवारी भत्ता दिया जायेगा, जिस तारीख को वह शपथ ग्रहण करे, या धारा-3 में निर्दिष्ट प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करे।

5. क्षेत्रीय भत्ता—प्रत्येक सदस्य के रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करने की तिथि से प्रतिमाह 4,000/- (चार हजार) रुपये क्षेत्रीय भत्ता पाने का हकदार होगा।

6. मोटरगाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा—झारखंड विधान-मण्डल के किसी सदस्य को मांग पर मोटरगाड़ी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य की समतुल्य राशि अथवा अधिकतम पांच लाख रुपये, जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा अवधारित नियमावली में निहित शर्तों के अधीन ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी जो सीधे गाड़ी के कम्पनी/डीलर को भुगतेय होगा। भुगतेय ऋण राशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय भुगतेय होगा।

7. पोस्टल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय की सुविधा—विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को, सदस्य के रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करने की तिथि से संसदीय कार्यों के सम्पादन के क्रम में पोस्टल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय वहन करने के लिए 2,000/- (दो हजार) प्रतिमाह रुपये भुगतेय होगा।

8. सदस्यों का दैनिक एवं यात्रा भत्ता—उन नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इसके लिए बनाये जायं :—

(i) राज्य के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सदस्य हर निवास दिन या उसके किसी अंश के लिए प्रतिदिन 350/- (तीन सौ पचास) रुपए की दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा :—

(क) यथास्थिति, विधान-सभा के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए।

स्पष्टीकरण—इस निवास दिन में विधान-सभा का अधिवेशन प्रारम्भ होने के पूर्व तथा समाप्त होने के बाद का अधिक से अधिक एक दिन के निवास की अवधि भी शामिल है,

परन्तु इसके लिए सदस्य को प्रमाणित करना होगा कि वह उन दिनों उस स्थान पर उपस्थित था जहां ऐसे अधिवेशन हुए हों।

(ख) विधान-सभा की समिति की बैठक में सम्मिलित होने के प्रयोजनार्थ।

स्पष्टीकरण—किसी तिथि की बैठक की समाप्ति पर सभा स्थल पर यदि कोई सदस्य आए, किन्तु सदन की बैठक में भाग नहीं ले सके तो उनका उस दिन सभा-स्थल पर ठहरना सदन की बैठक में भाग लेने के लिए निवास नहीं माना जायगा, जब तक कि अध्यक्ष द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाय।

(ii) (क) प्रत्येक सदस्य आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव उपचुनाव अथवा मनोनयन की दिशा में, विधान-सभा के अधिवेशन अथवा विधान-सभा के अन्य अधिवेशन में पहली बार उपस्थित होने के निमित्त रेल यात्रा की दशा में प्रथम श्रेणी के किराए के ड्योढ़ा भाड़ा तथा निजी कार से यात्रा की दशा में प्रति किलोमीटर पांच रुपए की दर से मील भत्ता एवं बस यात्रा की दशा में दुगुना बस भाड़ा पाने का हकदार होगा।

(ख) प्रत्येक सदस्य विधान-सभा का अधिवेशन या विधान-सभा की समिति अथवा सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों से सम्बन्धित किसी अन्य कारोबार में, भाग लेने के निमित्त अपने सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक जहां विधान-सभा की समिति की बैठक या अन्य कारोबार किया जाने वाला हो, उनके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा और ऐसे स्थान से अपने सामान्य निवास स्थान की वापसी यात्रा के लिए दैनिक भत्ता के अतिरिक्त कोई यात्रा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा,

परन्तु, और कि, यदि कोई सदस्य उपधारा (ii) (ख) के प्रयोजनार्थ यात्रा करे, तो वह केवल निम्न का हकदार होगा :—

(12)



(क) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के किराए की आधी रकम की दर से आनुषंगिक खर्च (चार्ज),

(ख) राज्य पथ परिवहन सेवा की बसों द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़े के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषंगिक खर्च,

(ग) निजी कार से की गई यात्रा के लिए नियमानुसार निर्धारित दर से,

परन्तु, और कि, ऐसे सदस्यों को जिनके पास निजी कार नहीं है, उन्हें रेल द्वारा प्रथम श्रेणी का ड्योढ़ा रेल भाड़ा देय होगा,

परन्तु यह भी, कि जहां कोई सदस्य धारा-9 के अधीन निःशुल्क यात्रा करता हो तो वह केवल निम्नलिखित का हकदार होगा :—

(क) प्रत्येक रेल यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के किराये की आधी दर से आनुषंगिक भाड़ा,

(ख) राज्य पथ परिवहन सेवा की बस द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारियों को अनुमान्य दर से आनुषंगिक भाड़ा।

(iii) प्रत्येक सदस्य को राज्य के बाहर अध्ययन यात्रा के लिए 500/ (पांच सौ) रुपये दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा।

स्पष्टीकरण—

(i) राज्य के अन्दर अपने एक वर्ष के कार्यकाल में अधिकतम 7 दिनों का दो बार स्थल अध्ययन-यात्रा मान्य होगा और अन्तराल 5 (पांच) माह से कम का नहीं होगा।

(ii) राज्य के बाहर स्थल अध्ययन वर्ष में अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए दो बार अनुमान्य होगा, परन्तु स्थल अध्ययन का अन्तराल 4 माह से कम का नहीं होगा।

9. रेल या पथ परिवहन सेवा द्वारा निःशुल्क परिवहन—

(i) ऐसी शर्तों के अधीन जो राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्धारित करे, अपने कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में यात्रा करने वाला प्रत्येक सदस्य और उसके साथ यात्रा करने वाला सहयात्री, यदि कोई हो, को रेलवे कूपन उपलब्ध कराये जायेंगे : जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है—

(क) झारखण्ड राज्य के भीतर किसी स्थान या स्थानों पर सभी यात्राओं के लिए।

(ख) झारखण्ड राज्य के बाहर, किन्तु भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की ऐसी अध्ययन यात्राओं के लिए प्रति वर्ष 1,50,000 (एक लाख, पचास हजार) किलोमीटर या उसके मूल्य के लिए रेलवे कूपन दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण—वर्ष से अभिप्रेत है 1 जून से आरम्भ होने वाली और 31 मई को समाप्त होने वाली कालावधि।

(ii) प्रत्येक सदस्य और उसके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री, यदि कोई हो, तो अहस्तांतरणीय पास उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों के सिवाए निगम के किसी मार्ग पर चलने वाली झारखण्ड राज्य पथ परिवहन निगम की किसी बस यात्रा से यात्रा करने के हकदार होंगे।

(iii) प्रत्येक सदस्य अपने साथ अपनी यात्रा के दौरान झारखण्ड राज्य के भीतर या बाहर किसी सहयात्री को अपने साथ ले जाने का हकदार होगा।

(iv) कंडिका 9 (i) (ख) के अन्तर्गत वैकल्पिक रूप से विहित राशि सीमा के समतुल्य राशि के अधीन प्रत्येक सदस्य हवाई जहाज का टिकट क्रय कर भारत के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा।

10. कम्प्यूटर का प्रावधान—प्रत्येक सदस्य को निःशुल्क कम्प्यूटर की सुविधा देय होगी जिसका मूल्य अधिकतम 75,000/ रुपये की सीमा के अन्तर्गत होगा एवं सदस्यता समाप्त होने पर उन्हें कम्प्यूटर विधान-मण्डल को वापस कर देना होगा।

11. निजी सहायक का प्रावधान—प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की अवधि पर्यन्त अधिकतम 3,500/-(तीन हजार, पांच सौ) रुपये समेकित वेतन पर एक निजी सहायक की सुविधा अनुमान्य होगी। निजी सहायक को टंकन एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का ज्ञान आवश्यक होगा।

12. चिकित्सा भत्ता—झारखण्ड विधान-मंडल के प्रत्येक सदस्य को दो हजार रुपये प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता का भुगतान देय होगा।

13. दूरभाष का प्रावधान—प्रत्येक सदस्य को उसके रांची स्थित आवास में दूरभाष उपलब्ध कराया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे। प्रत्येक सदस्य को वर्ष में अधिकतम 50,000 स्थानीय कॉल की मुफ्त सुविधा अनुमान्य होगी।

14. सवारी भत्ता और अन्य भत्ते—यदि कोई हो, स्टाफ कार, दूरभाष सम्बन्धी सुविधायें आदि ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी दरों पर उपलब्ध करायी जायेंगी, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर नियमों द्वारा अवधारित करे।

15. नियम बनाने की शक्ति :—

(i) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।

(ii) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित के अवधारण हेतु नियम बना सकेगी—

(क) ऐसी पद्धति जिसके द्वारा वेतन एवं भत्ते की निकासी की जायेगी तथा जिस रीति से और जिस रूप में ऐसे वेतन एवं भत्ते सम्बन्धी विपत्र तैयार किये जायेंगे, प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे और भुनाये जायेंगे,

(ख) लगातार अनुपस्थिति और कटौती की सीमा, जो ऐसी अनुपस्थिति के लिए सदस्यों के वेतन से की जायेगी,

(ग) वह कालावधि जिसके दौरान और जिन शर्तों के अधीन दैनिक और यात्रा भत्ते की निकासी की जायेगी तथा वह दर जिस दर से यात्रा भत्ते की निकासी की जायेगी।

(घ) जिन रियायती दरों पर सदस्यों द्वारा मकान भाड़ा अदा किया जायेगा।

(ङ) जिन शर्तों के अधीन और जिस रीति से रेल यात्रा अथवा राज्य पथ परिवहन सेवा के लिए सदस्यों को कूपन उपलब्ध कराये जायेंगे।

(च) सदस्यों एवं उनके परिवार को चिकित्सा सुविधाओं एवं अन्य रियायतों को मंजूर करना।

(छ) प्रत्येक सदस्य के सरकारी आवास पर दूरभाष स्थापित करना और उस पर उपगत व्यय आदि।

(ज) राज्य के भीतर एवं बाहर अपनी यात्रा के दौरान किसी सहयात्री को अपने साथ ले जाने के लिए सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं को मंजूर करना।

(iii) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र सत्र के दौरान राज्य विधान-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी कुल अवधि 14 दिनों की हो, जो एक सत्र में अथवा दो लगातार सत्रों में समाविष्ट हो, और यदि सत्र की समाप्ति के पूर्व जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया हो, या इसके ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में उपान्तरण करने के लिए सहमत हो, अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् इस नियम का प्रभाव यथास्थिति केवल ऐसे उपान्तरित रूप में होगा, या इसका प्रभाव ही नहीं होगा फिर भी ऐसे उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि-मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

16. इस अधिनियम के अधीन दिये गये वेतन या भत्ते की प्राप्ति से पेंशन का अधिकार प्रभावित नहीं होगा :— इस अधिनियम की कोई बात किसी वेतन या भत्ते, जिसका वह इस अधिनियम के अधीन हकदार हो, पाने से निर्वारित नहीं करेगी।

17. विधान-सभा के सदस्यों का पेंशन :—

(i) वैसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने यथा स्थिति —

(क) झारखण्ड विधान-सभा के सदस्य के रूप में, या

(ख) वैसा कोई व्यक्ति जो झारखण्ड विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचित/मनोनीत हुआ हो, शपथ ग्रहण करने के बाद तीन हजार रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन पाने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर तीन सौ रुपये अतिरिक्त पेंशन पायेगा, परन्तु, यह भी, कि विधान-मण्डल के किसी सदस्य की सदस्यता अवधि उसके यथास्थिति निर्वाचित या मनोनीत घोषित होने से लेकर विधान-मण्डल के भंग होने तक,

परन्तु, राष्ट्रपति द्वारा भंग किये जाने या मध्यावधि चुनाव होने, या सदस्यता से त्यागपत्र देने, या सदस्य की मृत्यु होने को छोड़कर, की अवधि यदि चार वर्ष छः माह हो तो वह अवधि पेंशन देने के प्रयोजनार्थ पाँच वर्षों की पूरी अवधि के रूप में मानी जायेगी,

परन्तु वह और भी, कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में (चाहे निरन्तर हो या नहीं) पाँच वर्ष की अवधि से कम अवधि के लिए कार्य किया हो, अपने जीवन पर्यन्त एक वर्ष की अवधि के लिए तीन सौ रुपये प्रतिमाह तथा बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए पचास रुपये अतिरिक्त राशि प्रतिमाह की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा।

(ii) जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा (i) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, वह व्यक्ति—

(क) यदि राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जाता हो, अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जाता हो, या

(ख) संसद के किसी सदन का सदस्य बन जाता हो, अथवा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान-सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् का सदस्य बन जाता हो, या

(ग) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी स्थानीय प्राधिकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रणाधीन निगम के अधीन सवेतन नियोजित हो अथवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार से कोई पारिश्रमिक पाने का अन्यथा हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति उपधारा (i) के अधीन उस अवधि के दौरान, जिसके दरम्यान वह ऐसा पद धारण किये रहता हो, या ऐसा सदस्य बना रहता हो, या इस प्रकार नियोजित रहता हो, या ऐसे पारिश्रमिक पाने का हकदार बना रहता है, ऐसी पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा।

परन्तु, जहाँ ऐसे व्यक्ति को ऐसा पद धारण करने के लिए या ऐसा सदस्य होने के लिए या इस प्रकार नियोजित रहने के लिए वेतन भुगतेय हो अथवा जहाँ ऐसे व्यक्ति को खंड (iii) में निर्दिष्ट पारिश्रमिक भुगतेय हो, के लिए दोनों मामलों में वह व्यक्ति उपधारा (i) के अधीन उसे देय पेंशन में से घटाकर उस उपधारा के अधीन पेंशन के रूप में अधिशेष पाने का हकदार होगा।

(iii) (क) जहाँ ऐसी विधि के अधीन, या अन्यथा पेंशन की ऐसी रकम जिसे वह पाने का हकदार हो, वहाँ उपधारा (i) के अधीन उस रकम के बराबर या उससे अधिक हो, जिसको पाने का वह हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति उपधारा (i) के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा, और

(ख) जहाँ पेंशन की ऐसी रकम जिसे वह ऐसी विधि के अधीन, या अन्यथा पाने का हकदार हो, उस रकम से कम हो जिसे वह उपधारा (i) के अधीन पाने का हकदार

हो तो ऐसा व्यक्ति उस उपधारा (i) के अधीन पेंशन की केवल ऐसी रकम पाने का हकदार होगा जो पेंशन की उस रकम से कम हो, जिसे वह उस उपधारा के अधीन अन्यथा पाने का हकदार हो;

परन्तु इस अधिनियम के अधीन वर्तमान या भविष्य में राजनीतिक उपद्रुत (पोलिटिकल सफरर) पेंशन प्राप्त करने के कारण पूर्व विधायकों को अनुमान्य पेंशन से कोई कटौती नहीं की जायगी ।

(iv) उपधारा (i) के प्रयोजनार्थ वर्षों की गणना करते समय झारखण्ड मंत्री का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 में यथा परिभाषित मंत्री के रूप में या झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001 में यथा उल्लिखित किसी पदाधिकारी और झारखण्ड विधान-मंडल (विपक्ष के नेता का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम 2001 यथा परिभाषित विपक्ष के नेता और वर्तमान अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार के अन्तर्गत संसदीय सचिव के रूप में जिस अवधि में किसी व्यक्ति ने सेवा की हो, उस अवधि की भी गणना की जायेगी ।

(v) वैसे प्रत्येक व्यक्ति को उपधारा (i) के अधीन, पेंशन पाने का हकदार हो, की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी/पति को आजीवन पारिवारिक पेंशन नीचे अंकित दर पर दिया जायेगा:- पेंशन की राशि का पचहत्तर प्रतिशत पारिवारिक पेंशन देय होगा, परन्तु यह भी, कि उपधारा (ii) एवं (iii) के उपबंध एवं शर्त मृत व्यक्ति की पत्नी/पति पर भी लागू होंगे,

परन्तु, यह भी कि यदि पारिवारिक पेंशन पाने वाला व्यक्ति अगर शादी कर ले, तो ऐसी दशा में पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा ।

(vi) वैसे प्रत्येक व्यक्ति को जो उपधारा (i) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, राज्य के भीतर प्रति वर्ष 20,000 (बीस हजार) किलोमीटर प्रथम श्रेणी में रेलवे कूपन पर यात्रा कर सकेगा और राज्य के बाहर प्रति वर्ष 15,000 (पन्द्रह हजार) किलोमीटर रेल द्वारा प्रथम श्रेणी की यात्रा कूपन पर कर सकेगा ।

18. पूर्व विधायकों को चिकित्सा सुविधा—धारा-17 में उल्लिखित ऐसी पेंशनभोगी पूर्व विधायक आजीवन निःशुल्क चिकित्सा, परिचर्या, दवाओं की प्रतिपूर्ति, अस्पतालों में भर्ती होने की सुविधा पाने का हकदार उस सीमा तक होगा, जैसा कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित किया जाय ।

---

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
रामायण पाण्डेय,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, राँची द्वारा प्रकाशित तथा
सचिवालय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची द्वारा मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 76—500+500—शनि मुण्डा ।

# झारखण्ड गजट

**असाधारण अंक**

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

**संख्या 287** 25 भाद्र 1924 शकाब्द
रांची, सोमवार 16 सितम्बर, 2002


### विधि (विधान) विभाग

---------

**अधिसूचना**

16 सितम्बर, 2002

संख्या-एल०जी०--05/2001-76-लेज--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 13 सितम्बर, 2002 को अनुमति दे चुके हैं ; इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

प्रशान्त कुमार,
सचिव,
विधि (विधान) विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

--------

### झारखण्ड विधान-मंडल
### (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)
### (संशोधन) अधिनियम, 2002
### [झारखण्ड अधिनियम, 16, 2002]

झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 53वें तिरपनवें वर्ष मे झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 की धारा-3 का संशोधन :-
झारखण्ड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-03) इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट की धारा-03 में प्रयुक्त शब्द ''सदस्य'' के बाद प्रयुक्त अंक एवं शब्द 3,000/- (तीन हजार) के स्थान पर अंक एवं शब्द 4,000/-(चार हजार रुपये) प्रतिस्थापित किये जायेंगे :-

3. झारखण्ड अधिनियम की धारा-03, 2001 की धारा-8 की उपधारा (I) (ख) में ''स्पष्टीकरण''-कंडिका के पश्चात् एक नई कंडिका निम्नवत् अंकित की जायेगी -''विधान सभा की समितियों की बैठक में लगातार दो बार अनुपस्थित रहने पर अन्तराल की अवधि का दैनिक भत्ता देय नहीं होगा ।''

4. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-9 का संशोधन :- उक्त अधिनियम की धारा-9 की उपधारा (I) (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित समझा जायेगा :-

''झारखण्ड विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को 2,00,000/- (दो लाख)रुपये के समतुल्य राशि का कूपन देय होगा, जिसमें एक लाख रुपये तक के कूपन का व्यय हवाई यात्रा में, अगर माननीय सदस्य चाहें तो कर सकेंगे, जिसकी प्रतिपूर्ति झारखण्ड विधान सभा करेगी ।''

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-9 की उपधारा (III) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित समझे जायेंगे ।

''प्रत्येक सदस्य अपने साथ यात्रा के दौरान झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत या बाहर, अपने अतिरिक्त पाँच सहयात्री को अपने साथ उपलब्ध कूपन की राशि के अन्तर्गत ले जाने का हकदार होगा ।''

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-9 की उपधारा (IV) के पश्चात् एक नई धारा-9 (V) जोड़ी जायेगी -

''प्रत्येक सदस्य के पति अथवा पत्नी विधान सभा द्वारा निर्गत परिचय-पत्र के आधार पर यात्रा के दौरान सदस्य की अनुपस्थिति में भी, रेलवे कूपन का प्रयोग कर सकते/सकती है ।''

5. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 की धारा-14 के पश्चात् एक उपधारा निम्नवत् जोड़ी जायेगी -

14 (i) सत्कार भत्ता-झारखण्ड विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को 1,000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से सत्कार भत्ता का भुगतान देय होगा ।

6. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-17 का संशोधन :-
उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (I) (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा -

(क) झारखण्ड विधान सभा के सदस्य के रूप में, या झारखण्ड क्षेत्र में रहने वाले जो पूर्व विधायक हैं, वह झारखण्ड के पूर्व विधायक माने जायेंगे, अर्थात् झारखण्ड राज्य के वैसे महानुभाव जो अविभाजित बिहार के विधान मंडल के किसी सदन में निर्वाचित/मनोनीत रहे हों, उन्हें पेंशन/पारिवारिक पेंशन, चिकित्सा एवं अन्य सुविधा झारखण्ड विधान सभा/सरकार से प्राप्त होगी ।

(ख) उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (I) (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा-

"पूर्व विधायकों को पेंशन सुविधा अन्तर्गत 3,000/-(तीन हजार) रुपये प्रतिमाह मौलिक पेंशन एवं एक वर्ष से अधिक विधायक रहने पर 500/- (पाँच सौ) रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से पेंशन वृद्धि जोड़कर पेंशन निर्धारित किया जायेगा, जो अधिकतम 15,000/- (पन्द्रह हजार) रुपया होगा ।"

(ग) उक्त अधिनियम की धारा-17 (VI) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"प्रत्येक व्यक्ति को जो उपधारा (I) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, को एक लाख रुपये के समतुल्य राशि का कूपन देय होगा, जिसमें 50 प्रतिशत राशि से हवाई जहाज से यात्रा की जा सकेगी । उक्त बंधेज के अधीन पूर्व सदस्य अपने खर्च से हवाई यात्रा करेंगे और इसकी प्रतिपूर्ति विधान सभा से की जायेगी । साथ ही अपने साथ तीन सहयात्री उपलब्ध कूपन के अन्तर्गत ले जा सकेंगे ।"

7. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा 18 का संशोधनः-झारखण्ड विधान मंडल (सदस्यो का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 2001) झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट) की धारा-18 के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएँ प्रतिस्थापित की जायेंगी -

(i) पूर्व विधायक, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हों, तो देश के अंदर किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी अस्पताल में उनकी चिकित्सा पर होने वाले खर्च का पूर्ण वहन राज्य सरकार करेगी और चिकित्सा पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत राशि अग्रिम को रूप में देय होगा ।

(ii) प्रत्येक पूर्व सदस्य एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता (आउटडोर) पाने का हकदार होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सचिव,
विधि (विधान) विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

--------

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 287--300+400--शनि मुण्डा ।

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

**झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित**

संख्या 100 — 8 फाल्गुन, 1927 शकाब्द
राँची, सोमवार 27 फरवरी, 2006

विधि (विधान) विभाग

---------

अधिसूचना
27 फरवरी, 2006

संख्या-एल०जी०-5/2001-29/लेज०--झारखण्ड विधान मण्डल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

## झारखण्ड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005

[झारखण्ड अधिनियम 09, 2006]

झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-16, 2002 द्वारा यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।

(2) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-5 में क्षेत्रीय भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द ''4000/-रु० (चार हजार)'' के स्थान पर ''8000/- रु० (आठ हजार)'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

3. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-8(i) मे दैनिक भत्ता अंक एवं शब्द में ''350/-रु० (तीन सौ पचास)'' रु० के स्थान पर ''500/- (पाँच सौ) रु०'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

4. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 (यथा संशोधित, 2002) की धारा-9 की उप धारा (i) की उप धारा (ख) में हवाई यात्रा के बाद शब्द ''जल पोत'' जोड़ा जायगा तथा शब्द ''विधान-सभा करेगी'' के बाद ''सदस्य हवाई यात्रा/जल पोत में एक सहयात्री ले जा सकेंगे'' जोड़े जायेंगे ।

5. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-11 में निजी सहायक का प्रवधान के अंतर्गत अधिकतम अंक एवं शब्द में ''3500/- (तीन हजार पाँच सौ) रु०'' के स्थान पर ''5500/- (पाँच हजार पाँच सौ) रु०'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

6. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-12 में चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द में ''2000/- (दो हजार) रु०'' के स्थान पर ''3000/- रु० (तीन हजार) रु०'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

7. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-13 की दूसरी पंक्ति को विलोपित करते हुए शब्द समूह ''प्रत्येक सदस्य को वर्ष में अधिकतम 75000/- (पचहत्तर हजार) रु०'' के समतुल्य देय होगा "जो कि राँची, आवास, क्षेत्रीय कार्यालय और मोबाईल मद में भुगतेय होगा" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

8. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-13 के बाद एक उप कंडिका-13'क' ''उपस्कर की सुविधा'' एवं 13'ख' समाचार पत्र-पत्रिकाओं की सुविधा जोड़ा जायेगा । झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-03, 2001) (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट) की धारा-13 के बाद एक उप कंडिकां-13 'क' जो निम्नवत् जोड़ा जायेगा :-

''विधान मंडल के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने या प्रतिज्ञान करने के बाद विधान सभा/केन्द्रीय पुल से आवास का सक्षम आबंटन होने एवं आवास अधिग्रहण करने के 15 दिनों के अन्दर उपस्कर साज सामग्री क्रय हेतु 25,000/- रु० (पच्चीस हजार रुपये) की राशि माननीय सदस्यों को दी जायेगी । इसके अतिरिक्त 3000/- रु० (तीन हजार रुपये) प्रतिवर्ष उपस्कर की मरम्मती एवं रख-रखाव हेतु भी दिये जायेंगे ।''

उप कंडिका 13'ख' निम्नरूप में जोड़ा जायेगा :

''विधान मंडल के सभी विधायकों को प्रतिमाह 500.00 (पाँच सौ) रुपये समाचार पत्र-पत्रिकाओं के लिए देय होगा ।''

9. झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 (यथा संशोधित, 2002) की धारा-14 (i) में सत्कार भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द में ''1000/- (एक हजार)'' के स्थान पर ''4000/- (चार हजार)'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

---------

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**राम बिलाश गुप्ता,**
सरकार के सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 100--300+400--शनि मुण्डा ।

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन, 1928 शकाब्द

संख्या 569 रांची, बुधवार, 18 अक्टूबर, 2006

### विधि (विधान) विभाग

---------

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2006

संख्या-एल०जी०-18/2006-120/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनां 13 अक्टूबर, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड विधान मंडल में (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2006

[झारखंड अधिनियम 17, 2006]

झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001,(झारखण्ड अधिनियम-16, 2002 द्वारा यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 57वाँ वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. (i) झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-17 का संशोधन (यथा संशोधित 2002) की कंडिका-6 के उपखण्ड 'ख' में प्रथम पंक्ति में अंक एवं शब्द 3000 (तीन हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 5000 (पाँच हजार) प्रतिस्थापित किया जायेगा । साथ ही साथ तीसरी पंक्ति में अंक एवं शब्द 15000/-(पंद्रह हजार) रुपये के स्थान पर 20000/-(बीस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-17 की उप धारा(1)(ख) (यथा संशोधित 2002) की कंडिका 6 के उपखण्ड (ग) के प्रथम पंक्ति में अंकित शब्द एक लाख रुपये के स्थान पर शब्द एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा साथ ही साथ दूसरी पंक्ति में अंकित शब्द समूह "हवाईजहाज से यात्रा" के बाद "में एक सहयात्री ले जा सकते है" शब्द समूह जोड़ा जायेगा तथा चौथी पंक्ति में अंकित शब्द "तीन" के स्थान पर "चार" प्रति स्थापित किया जायेगा ।

(iii) झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-17 की उपधारा (iii) को विलोपित किया जायेगा ।

(iv) झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-17 की उपधारा (v) की तीसरी पंक्ति में अंकित शब्द "देय होगा" के बाद "परन्तु यह भी कि उपधारा (ii) एवं (iii) के उपलब्धि एवं शर्त मृत व्यक्ति की पत्नी/पति पर लागू होंगे" को विलोपित किया जायेगा ।

3. (क) झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 की धारा-18 का संशोधन (यथा संशोधित, 2002) की कंडिका 7(i) के प्रथम पंक्ति में अंकित शब्द "सरकारी अथवा" के बाद "मान्यता प्राप्त" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा । (शेष यथावत्) ।

(ख) झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 की धारा-18 (यथा संशोधित, 2002) की धारा (ii) के प्रथम पंक्ति में अंकित अंक शब्द "1000/- "(एक हजार)" रुपये के स्थान पर "2000/-(दो हजार)" रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रशान्त कुमार,**

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

झारखण्ड गजट (असाधारण) 569--300+400--शनि मुण्डा ।

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 254 13 चैत्र, 1930 शकाब्द

राँची, बुधवार 2 अप्रैल, 2008

## विधि (विधान) विभाग

---

### अधिसूचना

1 अप्रैल, 2008

संख्या-एल०जी०-18/2006-43/लेज०,--झारखण्ड विधान-मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 31 मार्च, 2008 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

## झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2008

[झारखण्ड अधिनियम 10, 2008]

झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-16, 2002 द्वारा यथासंशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 59वां वर्ष में झारखण्ड विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो --

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -

(i) यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम-16, 2002 की धारा-2 में संशोधन-झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम-16, 2002 की धारा-2 में प्रयुक्त शब्द सदस्य के बाद प्रयुक्त अंक एवं शब्द 4000/- (चार हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 8000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

3. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम-16, 2002 की धारा-5 में संशोधन झारखण्ड विधान-मंडल के प्रत्येक सदस्य को सत्कार भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द में 4000/- (चार हजार) रुपये के स्थान पर 5000/- (पाँच हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

4. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम-9, 2005 की धारा-5 का संशोधन- निजी सहायक का प्रावधान के अंतर्गत अधिकतम अंक एवं शब्द में 5500/- (पाँच हजार पाँच सौ) रुपये के स्थान पर 10,000/-(दस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

5. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम-16, 2002 की धारा-4 का संशोधन-

(i) झारखण्ड विधान-मंडल के प्रत्येक सदस्य को 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये के समतुल्य राशि का कूपन देय होगा जिससे रेल, हवाई यात्रा, डीजल/पेट्रोल का समायोजन किया जायेगा ।

6. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम-9, 2001 की धारा-7 का संशोधन-उक्त अधिनियम की धारा-7 में अंकित अंक एवं शब्द 75,000/-(पचहत्तर हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 1,00,000/- (एक लाख) रुपये प्रतिस्थापित होगा ।

7. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम-अक्टूबर, 2006 की धारा-2 का संशोधन-उक्त अधिनियम की धारा में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा -

(i) भूतपूर्व विधायकों को पेंशन सुविधा अंतर्गत "5000/-(पाँच हजार) रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन एवं प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 500/- (पाँच सौ) रुपये अतिरिक्त

पेंशन के स्थान पर 900/-(नौ सौ) रुपये मात्र प्रति वर्ष के हिसाब से पेंशन वृद्धि जोड़कर पेंशन निर्धारित किया जायेगा, जो अधिकतम 20,000/-(बीस हजार) रुपये के स्थान पर 30,000/- (तीस हजार) रुपये प्रतिमाह होगा ।''

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-17(vi) के स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा-

''प्रत्येक सदस्य को जो उपधारा-(i) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, को 2,00,000/-(दो लाख) रुपये के समतुल्य राशि का कूपन देय होगा जिसमें रेल, हवाई यात्रा, डीजल/पेट्रोल का समायोजन किया जा सकेगा । इसकी प्रतिपूर्त्ति विधान-सभा से की जायेगी ।''

8. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 की धारा-8(ii)(क) में निजी कार से यात्रा की दशा में प्रति कि०मी० अंक एवं शब्द 5/-(पाँच) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 10/-(दस) रुपये प्रति कि०मी० देय होगा ।

--------

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रशान्त कुमार,**

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 254--300+400=-शनि मुण्डा +

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट


असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन, 1933 शकाब्द

संख्या 689 राँची, मंगलवार 11 अक्टूबर, 2011


## विधि (विधान) विभाग

### अधिसूचना

30 सितम्बर, 2011

संख्या एल०जी०–18/2001–181/लेज०–झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

[झारखण्ड अधिनियम, 17, 2011]

## झारखंड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2011

झारखंड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001, (झारखण्ड अधिनियम–16, 2002, झारखण्ड अधिनियम 09, 2006 तथा झारखण्ड अधिनियम 10, 2008 द्वारा यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 62वां वर्ष में झारखंड राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(i). यह अधिनियम झारखंड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(ii). इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii). यह दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावी समझा जायेगा।

2. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–16, 2002 तथा झारखण्ड अधिनियम 10, 2008 की धारा–2 में संशोधन – झारखण्ड अधिनियम–03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–16, 2002 की धारा–2 में वेतन प्रावधान में अधिकतम अंक एवं शब्द 8,000/–(आठ हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 20,000/–(बीस हजार) रूपये" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित झारखण्ड अधिनियम–9, 2006 की धारा–2 का संशोधन– क्षेत्रीय भत्ता के प्रावधान के अंतर्गत अधिकतम अंक एवं शब्द 8,000/– (आठ हजार) रु0 के स्थान पर अंक एवं शब्द 20,000/–(बीस हजार) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम 10, 2008 की धारा–3 में संशोधन– झारखण्ड विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को सत्कार भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द में 5,000/–रू0 (पांच हजार) के स्थान पर 15,000/–(पन्द्रह हजार) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(v) में यथासंशोधित अधिनियम 16, 2002 की धारा 7 द्वारा उपधारा 18(ii) के रूप में जोड़े गये, यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 3(ख) भूतपर्व सदस्य (विधायक) को चिकित्सा भत्ता मद में प्रति माह प्रावधानित राशि 2,000 /–के स्थान पर 3,000/– रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

6. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 03, 2001 की धारा–7 में सदस्य (विधायक) को पोस्टल एवं स्टेशनरी मद में प्रति माह प्रावधानित राशि 2,000/– के स्थान पर 8,500/– रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

7. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 की धारा–4 का संशोधन– सवारी भत्ता प्रावधान के अंतर्गत अंकित अधिकतम अंक एवं शब्द में 300/– (तीन सौ) रू0 के स्थान पर 500/– (पॉच सौ ) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

8. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–13 में यथासंशोधित अधिनियम 9, 2006 की धारा–8 द्वारा उपधारा 13 (क) के रूप में जोड़ा गया सदस्य (विधायक) को समाचार पत्र–पत्रिकाएं मद में प्रति माह प्रावधानित राशि 500/–के स्थान पर 1,000/– रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

9. झारखण्ड. विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–8(1), यथासंशोधित अधिनियम–9, 2006 की धारा 3,में सदस्य (विधायक) को दैनिक भत्ता मद में प्रावधानित राशि 500/–के स्थान पर राज्य के अंदर 1000/– तथा राज्य के बाहर 1500/– रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

10. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–8(ii)(क) यथासंशोधित अधिनियम–10, 2008 की धारा 8 में संशोधन– सदस्य को यात्रा भत्ता मद में प्रावधानित अधिकतम अंक एवं शब्द में 10/– (दस) रु0 के स्थान पर 15/– (पन्द्रह) रु0 प्रति किलोमीटर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11. आवास राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा ।

12. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–11 यथासंशोधित अधिनियम–9, 2006 की धारा 5, यथासंशोधित अधिनियम–2008 की धारा 4 द्वारा सदस्य (विधायक) के निजी सहायक को प्रति माह प्रावधानित राशि 10,000/–के स्थान पर 15,000/– रूपये प्रतिमाह एकमुश्त प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

13. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–13 सदस्य (विधायक) को दूरभाष मद में प्रावधानित राशि के स्थान 1,00,000 रूपये प्रतिवर्ष (राशि का उपयोग मोबाईल, लैण्डलाईन एवं इंटरनेट पर खर्च कर सकेंगे) प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

14. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–10 के पश्चात् निम्न उपधारा 10(i) जोड़ी जायेगी।

"10(i) लैपटॉप प्रिन्टर– प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की अवधि में लैपटॉप (प्रिन्टर सहित) के लिए 50,000/– रूपये अनुमान्य होंगे। सदस्यता समाप्त होने पर खरीद कीमत का 10 प्रतिशत राशि वापस किया जाएगा।"

15. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–13, में यथासंशोधित अधिनियम–9, 2006 की धारा 8 द्वारा उपधारा 13(क) के रूप में जोड़ा गया, सदस्य (विधायक) को उपस्कर, साज, सामग्री के लिए प्रावधानित राशि 25,000/–के स्थान पर 50,000/– रूपये एक टर्म के लिए प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

16. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–6 में सदस्य (विधायक) को मोटरगाड़ी कय हेतु ऋण की सुविधा में प्रावधानित राशि 5,00,000/– के स्थान पर 10,00,000/– रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

17. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन अधिनियम 03, 2001 की धारा 11 के पश्चात् निम्न उपधारा जोड़ी जायेगीः–

11(i)–आदेशपाल/अनुसेवक का प्रावधान– प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की अवधि में अधिकतम 5,500/– पारिश्रमिक पर एक अनुसेवक अनुमान्य होगा।

18. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 15 (II) को निम्नरुपेण प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

(i) विशेष रूप से और पूर्ववर्त्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी;

वेतन, भत्ते, पेशन एवं अन्य सुविधायें।

## भूतपूर्व माननीय सदस्य के लिए उपबंध में संशोधन –

1. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17, यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 2(i) में संशोधन।
2. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17, यथासंशोधित अधिनियम 16, 2002 की धारा 6(ख), यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 2(i) यथासंशोधित अधिनियम 10, 2008 की धारा 7(i) में संशोधन।
3. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(v)– में संशोधन।
4. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(i)(ख) में संशोधन।
5. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17 में संशोधन।

## भूतपूर्व माननीय सदस्य के लिए उपबंध में संशोधन –

1. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17, यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 2(i) के द्वारा भूतपूर्व सदस्य (विधायक) को पेंशन के रूप में प्रति माह प्रावधानित राशि 5,000/–के स्थान पर 15,000/– रूपये बेसिक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

2. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17, यथासंशोधित अधिनियम 16, 2002 की धारा 6(ख), यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 2(i) यथासंशोधित अधिनियम 10, 2008 की धारा 7(i) के द्वारा भूतपूर्व सदस्य (विधायक) के पेंशन में वार्षिक वृद्धि हेतु प्रावधानित राशि 900/–प्रतिवर्ष के स्थान 2,000/– रूपये प्रतिवर्ष तथा अधिकतम 30,000/– के स्थान पर 50,000/– रूपये तक के रूप में प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(v) – में निम्न वाक्य जोड़ा जायेगा :–

   भूतपूर्व माननीय सदस्यों के पति/पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को व्यस्क होने तक 75 प्रतिशत पेंशन देय होगा।

4. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(i)(ख) में निम्न वाक्य जोड़ा जायेगा :–

   विधान–सभा के एक वर्ष के खंडित अवधि को एक पूर्ण वर्ष माना जायगा।

5. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17 में निम्न वाक्य जोड़ा जायेगा :–

   भूतपूर्व सदस्य (विधायक) को झारखंड भवन में कमरा रिक्त रहने पर रियायत दर 100/–रू० प्रति कमरा / 24 घंटे के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

---

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 689--150+600 ।

6. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–7 में सदस्य (विधायक) को पोस्टल एवं स्टेशनरी मद में प्रति माह प्रावधानित राशि 2,000/– के स्थान पर 8,500/– रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

7. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 की धारा–4 का संशोधन– सवारी भत्ता प्रावधान के अंतर्गत अंकित अधिकतम अंक एवं शब्द में 300/– (तीन सौ) रू० के स्थान पर 500/– (पाँच सौ ) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

8. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–13 में यथासंशोधित अधिनियम 9, 2006 की धारा–8 द्वारा उपधारा 13 (क) के रूप में जोड़ा गया सदस्य (विधायक) को समाचार पत्र–पत्रिकाएं मद में प्रति माह प्रावधानित राशि 500/–के स्थान पर 1,000/– रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

9. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–8(1), यथासंशोधित अधिनियम–9, 2006 की धारा 3,में सदस्य (विधायक) को दैनिक भत्ता मद में प्रावधानित राशि 500/–के स्थान पर राज्य के अंदर 1000/– तथा राज्य के बाहर 1500/– रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

10. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–8(ii)(क) यथासंशोधित अधिनियम–10, 2008 की धारा 8 में संशोधन– सदस्य को यात्रा भत्ता मद में प्रावधानित अधिकतम अंक एवं शब्द में 10/– (दस) रू० के स्थान पर 15/– (पन्द्रह) रू० प्रति किलोमीटर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11. आवास राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा ।

12. झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा-11 यथासंशोधित अधिनियम-9, 2006 की धारा 5, यथासंशोधित अधिनियम-2008 की धारा 4 द्वारा सदस्य (विधायक) के निजी सहायक को प्रति माह प्रावधानित राशि 10,000/- के स्थान पर 15,000/- रूपये प्रतिमाह एकमुश्त प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

13. झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा-13 सदस्य (विधायक) को [illegible] मद में प्रावधानित राशि के स्थान 1,00,000 [illegible] राशि [illegible] उपयोग [illegible] [illegible] सकेंगे) प्रतिस्थापित किया जायेगा।

14. झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा-10 के पश्चात [illegible] उपधारा 10(i) जोड़ी जायेगी।

"10(i) [illegible] प्रत्येक सदस्य [illegible] की अवधि [illegible] के लिए 50,000/- [illegible] अनुदान [illegible] लेपटॉप (प्रिन्टर सहित) [illegible] का 10 प्रतिशत होगी। सदस्यता समाप्त होने पर [illegible] राशि वापस किया जाएगा।"

15. झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा-13, में यथासंशोधित अधिनियम-9, 2006 की धारा-8 द्वारा उपधारा 13(क) के रूप में जोड़ा गया, सदस्य (विधायक) को उपस्कर, साज, सामग्री के लिए प्रावधानित राशि 25,000/- के स्थान पर 50,000/- रूपये एक टर्म के लिए प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

16. झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा-6 में सदस्य (विधायक) को मोटरगाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा में प्रावधानित राशि 6,00,000/- के स्थान पर 10,00,000/- रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(संसदीय कार्य)

---

## अधिसूचना

संख्या- मं०म०स०-05/विधायी का० (वेतन एवं भत्ता)-01/2015(छाया संचिका) 936 /दिनांक 19.5.2015

झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम-2001 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2001), झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम-2002 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2002), झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम-2005 (झारखण्ड अधिनियम 09, 2006), झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम-2006, झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम-2008 (झारखण्ड अधिनियम संख्या 10, 2008) सहपठित झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम-2011 (झारखण्ड अधिनियम संख्या 17, 2011) की नियमावली 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ :-
   (i) यह नियमावली झारखण्ड विधान-मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015 कहलायेगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (iii) यह नियमावली 01 जनवरी, 2015 से प्रभावी समझी जायेगी।
   (iv) इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय एवं संदर्भ के विरुद्ध न हो,
      (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान-मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001
      (ख) "सदस्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान मंडल/सभा का सदस्य,
      (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।
2. **सदस्यों का वेतन** - प्रत्येक सदस्य 30000/- (तीस हजार) रुपये प्रति माह की दर से वेतन, जो उसे उस दिन से प्राप्त होगा, जिस दिन वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाए अथवा विधान सभा/मण्डल में स्थान भरने के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य को वह उस तिथि से प्राप्त होगा, जिस तिथि को उसे मनोनीत किया जाए, अथवा यदि ऐसी घोषणा या जो मनोनयन रिक्ति होने की तिथि से पूर्व किया गया हो, तो रिक्ति होने की तिथि से पाने का हकदार होगा।

परन्तु वेतन की अदायगी तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि कोई सदस्य शपथ-ग्रहण न कर ले या भारतीय संविधान के अनुच्छेद-188 में निर्दिष्ट प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर न कर दे :-

किन्तु यह कि आम चुनाव के बाद गठित नई विधान-मण्डल के किसी सदस्य की दशा में वेतन का भुगतान केवल उस तारीख से किया जायेगा, जिस तारीख को सभा की प्रथम बैठक नियत की गई है।

परन्तु यह भी कि प्रत्येक सदस्य को भुगतेय वेतन अनुपस्थिति करने के लिए ऐसी कटौतियों का देयी होगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम में उपबंधित किया जाय।

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकार के अधीन या किसी व्यक्ति से अपने वेतन का हकदार हो और ऐसी सरकार निगम, स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या किसी व्यक्ति से वेतन के रूप में कोई राशि प्राप्त करता हो, तो–

(क) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसी विधि या अन्यथा के अधीन हकदार है, उस राशि के समान या उससे अधिक हो, जिसका वह इस नियमावली के अधीन हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।

(ख) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसी विधि या अन्यथा के अधीन हकदार है, उस राशि से न्यून हो जिसका वह इस नियमावली के अधीन हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति इस नियमावली के अधीन वेतन की उस राशि का हकदार होगा, जो वेतन की उस राशि से कम है जिसका वह इस नियमावली के अधीन अन्यथा हकदार है।

3. सवारी भत्ता – प्रत्येक सदस्य को 1,000/–(एक हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से सवारी भत्ता दिया जायेगा, जिस तारीख को वह शपथ ग्रहण करे, या नियमावली–2 में निर्दिष्ट प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करे।

4. क्षेत्रीय भत्ता – प्रत्येक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रतिमाह 20,000/– (बीस हजार) रुपये क्षेत्रीय भत्ता पाने का हकदार होगा।

5. <u>सत्कार भत्ता</u>– प्रत्येक सदस्य को सत्कार भत्ता के रूप में 20,000/–(बीस हजार) रुपये प्रतिमाह अनुमान्य होगा।

6. **मोटरगाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा** – झारखण्ड विधान–मण्डल के किसी सदस्य की मांग पर मोटरगाड़ी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य के समतुल्य राशि अथवा अधिकतम 15,00,000/–(पंद्रह लाख) रुपये, जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा अवधारित नियमावली में निहित शर्तों के अधीन ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी जो सीधे गाड़ी के कम्पनी/डीलर को भुगतान होगा। भुगतेय ऋण राशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर भुगतेय होगा।

7. **पोस्टल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय की सुविधा**– विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को, सदस्य के रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करने की तिथि से संसदीय कार्यों के सम्पादन के क्रम में पोस्टल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय वहन करने के लिए 10000/– (दस हजार) रुपये प्रतिमाह भुगतेय होगा।

२८

8. सदस्यों का दैनिक भत्ता –

सदस्य शपथ–ग्रहण करने की तिथि से रु0 1,500/– (एक हजार पांच सौ) मात्र प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं रु0 2,000/–( दो हजार) मात्र प्रतिदिन राज्य के बाहर दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

9. **रेल, हवाई तथा पथ परिवहन सेवा –**

झारखण्ड विधान–मण्डल के प्रत्येक सदस्य को रु0 3,00,000/– (तीन लाख) के समतुल्य राशि का कूपन देय होगा जिससे रेल, हवाई यात्रा, डीजल/ पेट्रोल का समायोजन किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण** – वर्ष से अभिप्रेत है 1 जून से आरम्भ होने वाली और 31 मई को समाप्त होने वाली कालावधि।

(i) प्रत्येक सदस्य और उसके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री, यदि कोई हो, को अहस्तांतरणीय पास उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों के सिवाय निगम के किसी मार्ग पर चलने वाली झारखण्ड राज्य पथ परिवहन निगम की किसी बस से यात्रा करने के हकदार होंगे।

(ii) प्रत्येक सदस्य अपने साथ अपनी यात्रा के दौरान झारखण्ड राज्य के भीतर या बाहर किसी सहयात्री को अपने साथ ले जाने का हकदार होगा।

(iii) सदस्य को अनुमान्य रेलवे के लिए रु0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) मात्र के अन्तर्गत वैकल्पिक रूप से विहित राशि सीमा के समतुल्य राशि के अधीन प्रत्येक सदस्य हवाई जहाज का टिकट क्रय कर भारत के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा।

10. **कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) का प्रावधान**– प्रत्येक सदस्य को निःशुल्क कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) की सुविधा देय होगी जिसका मूल्य अधिकतम 70,000/– रुपये (सत्तर हजार) मात्र की सीमा के अन्तर्गत होगा। सदस्यता समाप्त होने पर उन्हें कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) विधान–मण्डल को वापस कर देना होगा या खरीद कीमत का 10 प्रतिशत राशि वापस किया जायेगा।

11. **निजी सहायक का प्रावधान**– प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की अवधि पर्यन्त अधिकतम रु0 20,000/– (बीस हजार) मात्र प्रतिमाह एकमुश्त वेतन पर एक निजी सहायक की सुविधा अनुमान्य होगी। निजी सहायक को टंकन एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का ज्ञान आवश्यक होगा।

12. **चिकित्सा भत्ता** – झारखण्ड विधान–मंडल के प्रत्येक सदस्य को रु0 5,000/–(पांच हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता देय होगा।

13. **दूरभाष/मोबाईल का प्रावधान** – प्रत्येक सदस्य को वर्ष में अधिकतम 1,00,000/– (एक लाख) रुपये दूरभाष/मोबाईल मद में विपत्र के विरुद्ध भुगतेय होगा, जिसमें से रु0 60,000/– (साठ हजार) मात्र मोबाईल हेतु रु0 5,000/–(पाँच हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से वेतन में जोड़ा जायेगा तथा शेष रु0 40,000/–(चालीस हजार) लैंडलाईन, इंटरनेट तथा फैक्स मद की राशि को विपत्र के विरुद्ध विधानसभा द्वारा देय होगा।

ह०/-

14. **उपस्कर सुविधा** – प्रत्येक सदस्य को एक टर्म के लिए 1,00,000/– (एक लाख) रुपये तथा इसके रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष रु0 5,000/– (पाँच हजार) देय होगा।

15. **समाचार पत्र–पत्रिका की सुविधा** – प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह रु0 1,000/– (एक हजार) मात्र पत्र–पत्रिकाओं के लिए अनुमान्य होगा।

16. **आवास सुविधा**– राज्य सरकार के नियमानुसार तथा माननीय सदस्यों की वरीयता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर आवास आवंटित किया जायेगा।

17. **अनुसेवक की सुविधा**– प्रत्येक सदस्य को रु0 15,000/–(पन्द्रह हजार) मात्र पारिश्रमिक की दर पर एक अनुसेवक अनुमान्य होगा।

18. **आयकर**– प्रत्येक सदस्य को देय वेतन एवं भत्ता पर भुगतेय आयकर की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

19. **दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन में कमरे की सुविधा**– प्रत्येक सदस्य को उनकी अधियाचना पर झारखण्ड भवन में कमरा रिक्त रहने पर रियायती दर रु0 100/– प्रति कमरा प्रति चौबीस घंटे के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। कमरा रिक्त नहीं रहने की स्थिति में झारखण्ड भवन, नई दिल्ली द्वारा अन्य स्थानों में उसी दर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

20. **गृह–ऋण की सुविधा**– प्रत्येक सदस्य को अधिकतम 30,00,000/–(तीस लाख) रु0 का गृह ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर अनुमान्य होगा।

21. झारखण्ड विधानमंडल के भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सुविधायें निम्नवत् देय होगी–

(i). पेंशन – 30,000/– (तीस हजार) रु0 प्रतिमाह

(ii) पेंशन में वार्षिक वृद्धि – 3,000/– (तीन हजार) रु0 प्रतिमाह (अधिकतम 80,000/– रु0 तक)

(iii) **पारिवारिक पेंशन** – पेंशन की राशि का 75 प्रतिशत देय होगा। भूतपूर्व माननीय सदस्यों के पति/पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को वयस्क होने तक 75 प्रतिशत पेंशन देय होगा।

(iv) **रेल, हवाई तथा पथ परिवहन सेवा** – झारखण्ड विधान–मण्डल के पूर्व सदस्य को रु0 3,00,000/– (तीन लाख) के समतुल्य राशि का कूपन देय होगा जिससे रेल, हवाई यात्रा, डीजल/ पेट्रोल का समायोजन किया जायेगा।

(v) चिकित्सीय भत्ता – माननीय भूतपूर्व सदस्य को रु0 5,000/– (पाँच हजार) मात्र प्रतिमाह चिकित्सीय भत्ता देय होगा। उनके जीवित रहने/मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/पति को दोनों ही स्थिति में चिकित्सा भत्ता देय होगा।

(vi) **पेंशन की राशि का हस्तांतरण** – माननीय भूतपूर्व विधायक की पत्नी/पति को मिलने वाले पेंशन की राशि कोषागार से सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

(vii) **दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन में कमरे की सुविधा**– प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को उनकी अधियाचना पर झारखण्ड भवन में कमरा रिक्त रहने पर रियायती दर रु0 100/–(एक सौ) प्रति कमरा प्रति चौबीस घंटे के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। कमरा रिक्त नहीं रहने की स्थिति में झारखण्ड भवन, नई दिल्ली द्वारा अन्य स्थानों में उसी दर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

22. यह नियमावली एवं इसके अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए ... बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट हो, रखा जायगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसकी ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाए, तो उसके बाद यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई उपान्तरण या बातलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई कोई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

23. **व्याख्या एवं संशोधन–** इस नियमावली के प्रावधानों की यथावश्यक व्याख्या (Interpretation) एवं संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(signature) 18/5/15

(एस0 के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– म0प0स0–05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 936/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि:– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय सभी सदस्यगण/ सभी पूर्व सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/सरकार के सभी सचिव/सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(signature) 18/5/15

(एस0 के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– म0प0स0–05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 936/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच.ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(signature) 18/5/15

(एस0 के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– म0प0स0–05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 936/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि राजपत्र की 5000 (पांच हजार) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(signature) 18/5/15

(एस0 के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(संसदीय कार्य)

अ धि सू च ना

म0म0स0– म0म0स0–05/स0कार्य0–107/2016 1248 / झारखण्ड विधान–मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015 के नियम– 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली मे झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

::संशोधन::

i) नियमावली के नियम–9 में विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को रेल, हवाई तथा पथ परिवहन सेवा की अनुमान्यता के तहत देय रु0 3,00,000/– (तीन लाख) मात्र की राशि को बढ़ाकर रु0 5,00,000/– (पांच लाख) मात्र किया जाता है।

ii) नियमावली के नियम–9 के उप नियम–iii में वर्णित स्पष्टीकरण को "विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य उक्त अधिसीमा के अन्तर्गत अपनी सुविधानुसार राशि का व्यय हवाई यात्रा, रेल यात्रा, डीजल/पैट्रोल के लिए कर सकते हैं" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

27.09.16

(सुरेन्द्र सिंह मीणा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/स0कार्य0–107/2016 1248 / रांची, दिनांक 27.9.2016 ई0।

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.09.16

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/स0कार्य0–107/2016 1248/ रांची, दिनांक 27.9.2016 ई0।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

D:/Memorandum/vidan sabha/Member act aug 2016n Notification for Tirath

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)



## अ धि सू च ना

म0न0स0– म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन–128/2017 1238/ झारखंड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015 के नियम– 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

::संशोधन::

i) नियमावली के नियम–2 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य" के पश्चात् एवं "प्रति माह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक " 30,000/– (तीस हजार) रूपये" को "रु0 40,000/– (चालीस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ii) नियमावली के नियम–3 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य को" के पश्चात् एवं "प्रति माह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "1,000/– (एक हजार) रुपये मात्र" को "रु0 3,000/– (तीन हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iii) नियमावली के नियम–4 में अंकित शब्द "प्रतिमाह" के पश्चात एवं शब्द समूह "क्षेत्रीय भत्ता" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "20,000/– (बीस हजार) रुपये" को "रु0 65,000/– (पैंसठ हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iv) नियमावली के नियम–5 में अंकित शब्द समूह "सत्कार भत्ता के रूप में" के पश्चात् तथा शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह "20,000/– (बीस हजार) रुपये" को "रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

v) नियमावली के नियम–6 में अंकित शब्द "अधिकतम" के पश्चात् एवं शब्द समूह "जो भी कम हो" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "15,00,000/– (पंद्रह लाख) रुपये" को "रु0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vi) नियम–6 में नये उप नियम–6 (i) के अन्तर्गत निम्न वाक्य जोड़ा जाता है:–
"विधान सभा के सदस्यगण राशि रु0 20,00,000/– (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक क्रय कर सकेंगे।"

vii) नियमावली के नियम–8 में अंकित शब्द समूह "तिथि से" के पश्चात एवं "प्रतिदिन राज्य के अन्दर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 1,500/– (एक हजार पांच सौ) मात्र" को "रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र" से तथा शब्द "एवं" के पश्चात् तथा शब्द समूह "प्रतिदिन राज्य के बाहर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र" को "रु0 2,500/– (दो हजार पांच सौ) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

viii) नियमावली के नियम–9 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य को" के पश्चात् एवं "समतुल्य राशि" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 5,00,000/– (पांच लाख)" को "रु0 6,00,000/– (छः लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ix) नियमावली के नियम–9 में नया उप नियम–9 (iv) के अन्तर्गत निम्न वाक्य जोड़ा जाता है–

"प्रत्येक माननीय सदस्य हवाई यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे, इसकी प्रतिपूर्ति निर्धारित सीमा के अन्दर विपत्र के विरूद्ध विधान सभा द्वारा देय होगा।"

x) नियमावली के नियम–11 में अंकित शब्द समूह "अवधि पर्यन्त अधिकतम" के पश्चात् एवं "एकमुश्त वेतन" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 20,000/– (बीस हजार) मात्र प्रतिमाह" को शब्द "रु0 35,000/– (पैंतीस हजार) मात्र प्रतिमाह" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xi) नियमावली के नियम–12 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य को" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह की दर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र" को "रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xii) नियमावली के नियम–14 में "उपस्कर सुविधा" शीर्षक को "उपस्कर एवं आवास सुसज्जन" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xiii) नियमावली के नियम–14 में अंकित शब्द समूह "एक टर्न के लिए" के पश्चात् एवं "तथा इसके रखरखाव" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "1,00,000/– (एक लाख) रुपये" को "रु0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा अंकित शब्द "प्रतिवर्ष" के पश्चात् एवं शब्द "देय" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 5,000/– (पांच हजार)" को "रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xiv) नियमावली के नियम–15 में प्रत्येक अंकित शब्द समूह "सदस्य को प्रतिमाह" के पश्चात् एवं "पत्र–पत्रिकाओं" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 1,000/– (एक हजार) मात्र" को "रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xv) नियमावली के नियम–17 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य को" के पश्चात् एवं शब्द "पारिश्रमिक" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 15,000/– (पंद्रह हजार) मात्र" को "रु0 25,000/– (पच्चीस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xvi) नियमावली के नियम–21 के उप नियम–21 (i) में प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को प्रतिमाह देय पेंशन की राशि रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र को रु0 40,000/– (चालीस हजार) मात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xvii) नियमावली के नियम–21 के उप नियम–21 (ii) में पूर्व सदस्य के पेंशन में वार्षिक वृद्धि की राशि रु0 3,000/– (तीन हजार) मात्र को रु0 4,000/– (चार हजार) मात्र से एवं अधिकतम सीमा रु0 80,000/– (अस्सी हजार) मात्र को रु0 1,00,000/– (एक लाख) मात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xviii) नियमावली के नियम–21 के उप नियम–21 (iii) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है–

"पारिवारिक पेंशन रु0 60,000 (साठ हजार) मात्र देय होगा। पूर्व माननीय सदस्यों के पति/पत्नी दोनो के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को व्यस्क होने तक रु0 60,000 (साठ हजार) मात्र पेंशन देय होगा।

xix) नियमावली के नियम–21 के उप नियम–21 (iv) में अंकित शब्द समूह "पूर्व सदस्य को" के पश्चात एवं "समतुल्य राशि" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 3,00,000/– (तीन लाख) मात्र" को शब्द "रु0 4,00,000/– (चार लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xx) नियमावली के नियम–21 में नया उप नियम–21 (iv) (a) निम्नरूपेण जोड़ा जाता है:–

"प्रत्येक पूर्व सदस्य निर्धारित अधिसीमा के अन्तर्गत अपनी सुविधानुसार रेल, हवाईयात्रा, डीजल, पेट्रोल अथवा इन चारों मदों में से किसी एक मद में सम्पूर्ण राशि का समायोजन कर सकेंगे। साथ ही हवाई यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे, इसकी प्रतिपूर्ति निर्धारित सीमा के अन्दर विपत्र के विरूद्ध विधान सभा द्वारा देय होगा।"

xxi) नियमावली के नियम–21 (v) में अंकित शब्द समूह "भूतपूर्व सदस्य को" के पश्चात तथा "प्रतिमाह चिकित्सीय भत्ता" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र" को "रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(राजकुमार चौधरी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वै0म0 संशोधन–128/2017 1238/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वै0म0 संशोधन–128/2017 1238/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वै0म0 संशोधन–128/2017 1238/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव

(10)

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन–128/2017_______/ रांची, दिनांक , 2017 ई0।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन–128/2017_______/ रांची, दिनांक , 2017 ई0।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरन्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव

झारखण्ड सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(संसदीय कार्य)

:: अधिसूचना ::

सं०स०— म०म०स०—05 / वे०म०संशोधन—128 / 2017 1287 / झारखण्ड विधान–मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015 के नियम– 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

:: संशोधन ::

i) नियमावली के नियम– 21 के उप नियम 21 (ii) में पूर्व सदस्यों को अधिकतम अनुमान्य पेंशन की सीमा, राशि रू० 1,00,000/– (एक लाख) मात्र को राशि रू० 1,10,000/– (एक लाख दस हजार) मात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक– 01.09.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(राजकुमार चौधरी)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म०म०स०–05 / वे०म०संशोधन–128 / 2017 1287 / रांची, दिनांक 13.10.2017 ई.।

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / विकास आयुक्त, झारखण्ड / सदस्य, राजस्व पर्षद / सभी अपर मुख्य सचिव / सरकार के सभी प्रधान सचिव / प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली / सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड / सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म०म०स०–05 / वे०म०संशोधन–128 / 2017 1287 / रांची, दिनांक 13.10.2017 ई.।

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म०म०स०–05 / वे०म०संशोधन–128 / 2017 1287 / रांची, दिनांक 13.10.2017 ई.।

प्रतिलिपि– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–06/वे0म0संशोधन–128/2017 1287 / रांची, दिनांक 13.11.2017 ई.।

*प्रतिलिपि*– कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–06/वे0म0संशोधन–128/2017 1287 / रांची, दिनांक 13.11.2017 ई.।

*प्रतिलिपि*– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य) को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव

झारखण्ड सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(संसदीय कार्य)

**अधिसूचना**

म०म०स०– म०म०स०–05 / वे०भ० संशोधन–128 / 2017 368 / झारखण्ड विधानमण्डल (सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015 के नियम–23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

**::संशोधन::**

i) नियमावली के नियम–21 के उप नियम–21 (iii) में अंकित शब्द समूह "पारिवारिक पेंशन रु0 60,000(साठ हजार) मात्र देय होगा। पूर्व माननीय सदस्यों के पति/पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को व्यस्क होने तक रु0 60,000(साठ हजार) मात्र पेंशन देय होगा।" को **"पारिवारिक पेंशन, पेंशन की राशि का 75% देय होगा। पूर्व माननीय सदस्यों के पति/पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को व्यस्क होने तक 75% पेंशन देय होगा।"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(राजकुमार चौधरी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म०म०स०–05 / वे०भ० संशोधन–128 / 2017 368 रांची, दिनांक 21.3., 2018 ई०।

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / विकास आयुक्त, झारखण्ड / सदस्य, राजस्व पर्षद / सभी अपर मुख्य सचिव / सरकार के सभी प्रधान सचिव / प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली /. सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड / सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म०म०स०–05 / वे०भ० संशोधन–128 / 2017 368 रांची, दिनांक 21.3., 2018 ई०।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–06/वे0म0 संशोधन–128/2017 368/ रांची, दिनांक 21.3. 2018 ई0।

प्रतिलिपि– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

21/3/2018

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–06/वे0म0 संशोधन–128/2017 368/ रांची, दिनांक 21.3. 2018 ई0।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/2018

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–06/वे0म0 संशोधन–128/2017 368/ रांची, दिनांक 21.3. 2018 ई0।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

21/3/2018

सरकार के अपर सचिव